

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि उन्हें कुछ गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एन०बी०एफ०सी०) के विरुद्ध जमाकर्ताओं से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो परिपक्वता पर उनकी जमा राशियों को चुकाने में असफल रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास जनता की जमा राशियों की उन वास्तविक राशि के बारे में कोई सूचना नहीं है जिसे एन०बी०एफ०सी० चुकाने में अग्रफल रही है। कंपनी विधि बोर्ड ने सूचित किया है कि कुल 34153 आवेदनों में से, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 जिसमें कंपनियों को जमा राशियों की चुकौती करने के लिए निर्देश दिया गया है, की धारा 45 धक के अन्तर्गत 01.4.98 से 31.12.98 की अवधि के दौरान 25,734 आवेदनों का निपटारा किया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबन्धों के अन्तर्गत बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों को जनता से जमा राशियों स्वीकार करने तथा उनके कार्यकरण के अन्य पहलुओं के संबंध में निर्देश जारी किये हैं ताकि एन०बी०एफ०सी० का सुदृढ़ आधार पर विकास सुनिश्चित हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न सांविधिक प्रावधानों तथा स्थल पर निरीक्षण, स्थलेतर निगरानी तथा बाजार आसूचना प्रणाली के माध्यम से उसके अन्तर्गत जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना की निगरानी की प्रणाली विकसित की है। परिपक्वता पर जमा राशियों की वापसी अदायगी करने में असफल रहने समेत किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के कार्यकरण में जब कभी भी कोई अनियमितता प्रकाश में आती है, उस पर उचित कार्रवाई की जाती है। परिपक्व जमा राशियों की वापसी अदायगी/जमा राशियों पर ब्याज के भुगतान में बार-बार चूक किए जाने पर या कंपनी के दिवालिया होने पर जिससे कि जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचे, ऐसी अवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों को निषेधात्मक आदेश जारी किए जाते हैं। ऐसे निषेधात्मक आदेशों के अधीन, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को जमा राशियां स्वीकार करने और उसकी आस्तियों के स्वत्वाधिकार अंतरण पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। स्थिति की आवश्यकतानुसार गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें भी दर्ज की जाती हैं। बैंक ने चूक करने वाली ऐसी कई कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। जनवरी 1997 से 2 नवम्बर, 1998 तक, 41 गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के संबंध में निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, 5 गैर-बैंककारी

वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध समापन याधिका फाइल की गई है तथा चूक करने वाली 8 कंपनियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(1क) के अन्तर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए प्राप्त हुए कई आवेदनों को जमा राशियों की वापसी अदायगी में चूक, असंतोषजनक वित्तीय स्थिति, अप्रभावशाली प्रबंधन आदि जैसे आधारों पर रद्द कर दिया गया है जिससे गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां अपना कारोबार करने के अयोग्य हो गई हैं।

Refund of tax to Tendu Leaf Traders

2253. SHRI LAKHIRAM AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the amount of Tax as T.D.S. (Tax Deduction at Source) deducted by the Income-tax Department from the Tendu leaf traders during the last three years; and

(b) the amount of Tax as T.D.S. refunded to the Tendu leaf traders after the income tax assessment during the last three years alongwith the interest paid (year-wise)?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARATHAN): (a) and (b) The information is not readily available. The same is being collected and will be laid on the table of the House.

Non Official Directors on the Board of Banks

2254. MISS FRIDA TOPNO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that since long there is no appointment of non-official Directors in the Boards of Nationalised Banks;

(b) if so, whether Government have any plans for filling-up vacancies to Boards of nationalised Banks; and

(c) if so, how many such vacancies are likely to be filled-up and when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN):

(a) to (c) The nominations of part-time non-official directors on the Boards of nationalised Banks are made in accordance with the procedure and criteria laid down in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980.

At present there are only four vacancies of such directors on the Board of Nationalised Banks (one each on the Board of four banks).

Nomination of non-official directors on the Boards of nationalised banks are made as and when the vacancy arises.

Value of Euro vis-a-vis Rupee

2255. **SHRI BANGARU LAXMAN:**
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to answer to Unstarred

Question 82 given in Rajya Sabha on 23rd February, 1999 and state:

(a) what has been value of Euro with respect of indian rupees since its launch till date; and

(b) the steps taken by Government to stabilise and strengthen the rupee against the Euro?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) the exchange rates of the Rupee against the Euro since January 4, 1999 (the first day of trading of Euro) are given in the statement. (See below)

(b) The exchange rate of the Rupee against the Euro is arrived at indirectly based on the Rupee/US dollar rate, which is determined by the market forces of demand and supply in the domestic foreign exchange market, and the Euro/US dollar rate, which is determined abroad. While the exchange rate of the Rupee against the US dollar has been reasonably stable in recent months, the Rupee has, in fact, appreciated by about 9 per cent so far against the Euro, reflecting significant appreciation of the US dollar against the Euro in the international currency markets.

Statement

Exchange Rate of the Rupee against the Euro

Date	Rs. per Euro*	Date	Rs. per Euro*	Date	Rs. per Euro*
Jan., 99		Feb., 99		March, 99	
Jan. 04	50.5100	Feb. 01	48.2400	March, 01	46.7638
Jan. 05	50.2575	Feb. 02	48.1525	March, 03	46.4675
Jan. 06	49.8875	Feb. 03	48.1925	March, 04	46.2563
Jan. 07	49.4725	Feb. 04	48.0488	March, 05	46.0413
Jan. 08	49.7163	Feb. 05	48.2463	March, 08	46.0550
Jan. 11	49.2613	Feb. 08	47.7213	March, 09	46.3125
Jan. 12	48.8388	Feb. 09	48.1213	March, 10	46.2088
Jan. 13	49.1638	Feb. 10	47.9463	March, 11	46.5213